

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page Nos. 301—302

Dated 17-1-76

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
MINISTRY OF AGRICULTURE AND

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1975

का० आ० 353.—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट किस्मों को, जिन्हें भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सांठन मंत्रालय (कृषि विभाग) को अधिसूचना सं० का० आ० 4045 तारीख 24 सितम्बर 1969 के अनुसार उस किस्म के रूप में अधिसूचित किया गया था, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की बाबत, अनुसूचित करती है, अर्थात् :-

किस्में	वे क्षेत्र जिसके लिए अन-अधिसूचित किया गया
1	2
बाजरा संकर बाजरा सं० 2 } संकर बाजरा सं० 4 }	महाराष्ट्र
मक्का संकर मक्का गंगा-1 } संकर मक्का गंगा-3 }	बिहार

2. इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, पूर्वोक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में सारणी के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

- (क). "मक्का" किस्म के नीचे प्रविष्टि सं० 1 और 4 के सामने "बिहार" शब्द का लोप किया जाएगा ;
- (ख) "बाजरा" किस्म के नीचे,—
- (1) प्रविष्टि संख्या 2 के सामने "महाराष्ट्र" शब्द का लोप किया जाएगा ;
- (2) प्रविष्टि संख्या 4 के सामने "राजस्थान ; मैसूर और महाराष्ट्र", शब्दों के स्थान पर "राजस्थान और कर्नाटक" शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 7-26/74-एस० डी०]

के बालकृष्णन, अवर सचिव

IRRIGATION

Department of (Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, 31st December, 1975

S.O.353—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966(54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seeds Committee, hereby denotifies the varieties specified in column (1) of the Table below, which were notified as such varieties vide notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) No. S.O. 4045, dated the 24th September, 1969 in respect of the areas specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely :—

TABLE

Variety	Area for which denotified
(1)	(2)
Bajra	
Hybrid Bajra No. 2 } Hybrid Bajra No. 2 }	Maharashtra
Maize	
Hybrid Maize Ganga—1 } Hybrid Maize Ganga—3 }	Bihar

2. Further, in exercise of the powers aforesaid, the Central Government hereby makes the following amendments in column

2 of the Table in the said notification, namely :—

- (a) under the variety "Maize", against entries No. 1 and 4, the word "Bihar" shall be omitted ;
- (b) under the variety "Bajra",—
- (i) against entry No.2, the word "Maharashtra" shall be omitted;
- (ii) against entry No. 4, for the words "Rajasthan, Mysore, and Maharashtra", the words "Rajasthan and Karnataka" shall be substituted.

[No. 7-26/74-S.D.]

K. BALAKRISHNAN, Under Secy.